मंडल की 22 अक्टूबर 2021 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	184	21 सितंबर 2021 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल ने संकल्प संख्या 162 तथा संकल्प संख्या 169 दोनो दिनांकित 21.9.2021 में आशोधनों/सुधारों के साथ 21.9.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की.	सामान्य प्रशासन
2.	185	निविदा संख्या एमइइडी. 08/2021 - 10 वर्ष की अवधि के लिए आय बाँट लेने के आधारपर 7 इंदिरा गोदी तथा 7/8 व्हिक्टोरिया गोदी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (मुंबई) में 60 मेट्रिक टन क्षमता के 2 संख्या इलेक्ट्रॉनिक तोल सेतुओं की निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण आधार हेतु निविदा.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 10 मे दिए गए मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी
3.	186	मुंपोट्र क्षेत्रों में 12 शेष झोन्स हेतु 1.10.2012 से 30.9.2017 तक प्रभावी दरमानों (एसओआर) का नियतन तथा किराए/क्षतिपूर्ति का सुधार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
4.	187	मलबार हिल डिव्हिजन स्थित सी.एस. संख्याएँ 929 तथा 930, उस संबंधी भूमि आबंटन समिति द्वारा दरमान - 2017-22 झोन 7/66 का नियतन.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिश को तथा परिच्छेद 8(ए) तथा 8(बी) में संपदा प्रबंधक द्वारा यथा प्रस्तावित कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
5.	188	कंबाला हिल डिव्हिजन स्थित आरआर संख्याएँ 1417 तथा 1942, उस संबंधी भूमि आबंटन समिति द्वारा दरमान - 2017-22 झोन 7/64 का नियतन.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिश को तथा परिच्छेद 8(ए) तथा 8(बी) में संपदा प्रबंधक द्वारा यथा प्रस्तावित कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
6.	189	पोर्ट की सीमा के अंदर करंजा स्थित प्रस्तावित जेट्टी के लिए पीजीएलएम नीति के अनुसार दरों का नियतन संबंधी - उस संबंध में भूमि आबंटन समिति द्वारा अनुमोदन.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 10 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा परिच्छेद 12(ए), 12(बी) तथा 12(सी) में संपदा प्रबंधक द्वारा यथा प्रस्तावित कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
7.	190	आर आर झोन्स 96/436, 15/105, 16/110 तथा 11/84ई में सभी भूखंडों के लिए दरमानों 2017-2022 के दर का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 3 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिश को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
8.	191	कुलाबा (ससून गोदी) इस्टेट स्थित आर आर 1206, आरआर 1388 तथा आरआर 1868, उस संबंधी भूमि आबंटन समिति द्वारा दरमान - 2017-22 झोन 1/6 का नियतन.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 8 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिश को तथा परिच्छेद 10(ए) तथा 10(बी) में संपदा प्रबंधन द्वारा यथा प्रस्तावित कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
9.	192	दरमान 2017-22 के नियतन हेतु वरली बंदर स्थित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की भूमि के (वरली डिव्हिजन का आर आर झोन 13/97) मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 3 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिश को तथा परिच्छेद 4 तथा 5 में संपदा प्रबंधक द्वारा यथा प्रस्तावित कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
10.	193	पे ॲण्ड पार्क तथा सड़क प्रभार वसूली संविदाओं के प्रचालकों द्वारा मुंपोट्र को देय प्रोद्भूत विशाल बकाया राशियाँ. (i) निविदा संख्या इ-04/2019- इस्टर्न वाटरफ्रंट विकास परियोजनाओं के लिए 15 व्हिक्टोरिया गोदी के समीप पार्किंग स्पेस में पे ॲण्ड पार्क का प्रचालन तथा प्रबंधन. (ii) निविदा संख्या इ-01/2020- पे ॲण्ड पार्क - चरण-I के प्रचालन हेतु लाइसेंस. (iii) निविदा संख्या इ-121/2018- पे ॲण्ड पार्क - चरण-II के प्रचालन हेतु लाइसेंस. (iv) निविदा संख्या इ-99/2016- पे ॲण्ड पार्क - चरण-I प्रचालन हेतु लाइसेंस. (v) निविदा संख्या इ-72/2017- मुंपोट्र की सडकों का उपयोग करने के लिए प्रभार वसूल करने हेतु लाइसेंस.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया - (i) जैसा कि प्रस्तावित है, आवश्यक नहीं एक महीने में, परंतु कहे कि दो महीनों की उचित समयावधि के अंदर तीन किश्तों में देयों का भुगतान करने का एक अवसर चूककर्ता संविदाकारों को दिया जाए. (ii) यदि संविदाकारों ने पहली किश्त समय पर नहीं दी, तो मुंपोट्र के पे ॲण्ड पार्क भूखंडो का उनका कार्य समाप्त करने तथा उनको वहाँ से हटाने के लिए कारण बताओ नोटिसें जारी की जाएँ; (iii) बकाया देयों की वसूली के लिए चूककर्ता प्रचालकों के विरुध्द कानूनी कार्रवाई का प्रारंभ किया जाए, तथा (iv) नई निविदा जारी करते समय विद्यमान चूककर्ता संविदाकारों के उसमें सहभाग लेने पर रोक लगाई जाए.	स्थापत्य अभियांत्रिकी

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
		(vi) निविदा संख्या इ-72/2017 (अस्थायी)- मुंपोट्र की सडकों का उपयोग करने के लिए प्रभार वसूल करने हेतु लाइसेंस.		
11.		गोल्डन यार्ड, वडाला में थोक पोतभार के भंडारण के लिए अस्थायी शेड का संस्थापन.	मंडल ने प्रस्ताव स्थगित किया	यातायात.
12.	194	जवाहर द्वीप तथा पिर पाव पर अवस्थित समुद्री तेल टर्मिनल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में 5 वर्ष की वार्षिक अनुरक्षण संविदा सेवाओं के साथ स्कैडा तथा पीएलसी ऑटोमेशन प्रणाली का अभिकल्प, अभियांत्रिकी, प्रापण, आपूर्ति, संस्थापन तथा प्रचालनारंभ.	चर्चा के बाद, मंडल ने मुख्य यांत्रिकी अभियंता के निम्न प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया - (ए) 3% आकस्मिकताओं तथा 18% जीएसटी सहित 22,66,66,000 रुपयों के निवेशको जोड 3% आकस्मिकताओं तथा 18% जीएसटी सहित 1,11,30,000 रुपये को पाँच वर्षों के वार्षिक अनुरक्षण संविदा सेवाओं के लिए तथा व्यय को पूंजी में प्राभारित करने की स्थायी निवेश समिति के सिफारिशों को, (बी) 3% आकस्मिकताओं तथा 18% जीएसटी सहित 22,66,66,000 रुपये राशि के विषयाधीन कार्य के लिए प्राक्कलन संख्या/एमइइडी 28/2021-22 को, (सी) आमंत्रित की जानेवाली निविदा में टिप्पणी के परिच्छेद 9 में उल्लिखित अर्हतापूर्व निकष को समाविष्ट करने को.	यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी
13.	195	प्रशासन रिपोर्ट- 2020-21.	मंडल ने चर्चा के बाद, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 106 के अनुसार सरकार को प्रस्तुतीकरण हेतु प्रशासन रिपोर्ट 2020-21 को अनुमोदन प्रदान किया.	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
14.	196	अप्रत्याशित घटना का आहवान - कोविड 19 वैश्विक महामारी के कारण मुंपोट्र द्वारा प्रदान की गई संविदाओं में सहायता प्रदान करना. (i) निविदा संख्या इ-04/2019-इस्टर्न वाटरफ्रंट विकास परियोजनाओं के लिए 15 व्हिक्टोरिया गोदी के समीप पार्किंग स्पेस में पे ॲण्ड पार्क का प्रचालन तथा प्रबंधन. (ii) निविदा संख्या इ -99/2016- पे ॲण्ड पार्क चरण I के प्रचालन हेतु लाईसेंस. (iii) निविदा संख्या इ - 121/2018-पे ॲण्ड पार्क-चरण II के प्रचालन हेतु लाइसेंस. (iv) निविदा संख्या इ - 72/2017 मुंपोट्र की सड़को का उपयोग करने के लिए प्रभार वसूल करने हेतु लाइसेंस.	मंडल ने चर्चा के बाद, टिप्पणी के परिच्छेद 6 में मुख्य अभियंता द्वारा यथा प्रस्तावित पे ॲण्ड पार्क तथा सड़क प्रभार वसूली निविदाओं के प्रचालकों को सहायता प्रदान करने को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
15.	197	निविदा संख्या एमइइडी 08/2019 के अधीन कार्य हेतु आईआईटी, बॉम्बे से 70मी. टॉवर फाउंडेशन बोल्टस् तथा स्ट्रक्चर, डिजाइन का पुन: अनुमोदन मुंबई बंदरगाह के व्हीटीएमएस का आवर्धन/प्रतिस्थापन.	मंडल ने चर्चा के बाद, 'एसडीएम आइडी बिल्डिंग इंदिरा गोदी के समीप 70मी. ऊंचाई के दूरसंचार टॉवर के स्ट्रक्चरल डिजाइन तथा ड्रॉईंगस् के प्रुफ चेकिंग' के लिए आईआईटी बॉम्बे पर 18% जीएसटी सम्मिलित कर 2,95,000 रुपये राशि का कार्य आदेश जारी करने के तथा आईआईटी बॉम्बे को 100% अग्रिम भुगतान करने के संयुक्त निदेशक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	संयुक्त निदेशक
16.	198	एचटी विद्युत नेटवर्क प्रणाली तथा उपभोक्ता उर्जा मीटरिंग तथा बिलिंग सपोर्ट के प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु तकनीकी सलाहकार सेवाओं की नियुक्ति.	मंडल ने चर्चा के बाद, निम्ननुसार मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया:	यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(i) जीएसटी तथा 3% आकस्मिकता को सम्मिलित कर 11,52,00,000 रुपये राशी के प्राक्कलन संख्या एमइइडी.42/2021-22 को मंजूरी. (ii) प्रस्तावित निविदा कार्य हेतु पूर्व अर्हता मानदंड.	
17.	199	तटीय जहाजों/एमबीसीज द्वारा गोदियों में लाए गए सीमेंट पोतभार के लिए रियाअती भंडारण प्रभार.	मंडल ने चर्चा के बाद, दिनांक 24.11.2020 की न्यास सं.सं. 154 के तहत मंडल द्वारा यथा अनुमोदित योजना को 21.10.2021 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करने तथा तत्पश्चात उसका पुनरीक्षण करने के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात
18.	200	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में तैनात किए गए व्यावसायिक कार्याधिकारियों की संविदा का विस्तारण.	मंडल ने चर्चा के बाद, निम्ननुसार अनुमोदन प्रदान किया - (i) व्यावसायिक कार्याधिकारियों की संविदा को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए तथा और 2 वर्ष अधिक विस्तार योग्य करने के साथ 1000 रुपये प्रति वर्ष की एक वेतनवृध्दि प्रदान करना बशर्ते कि हर वर्ष उनके कार्यनिष्पादन का पुनरीक्षण किया जाए तथा उनके मूल नियुक्ति प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित अन्य शर्तों तथा निबंधनों को बरकारार रखा जाए. (ii) तद्नुसार मंत्रालय को सूचित किया जाए.	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
19.	201	आबाद इंडिया अशोअरबेस रिसोर्सेस को जगह आबंटन के विस्तारण - निविदा संख्या टीएम/आइडी/01/2018.	मंडल ने, चर्चा के बाद, टिप्पणी के परिच्छेद 7.1 में दिये गए आबाद इंडिया अशोअरबेस रिसोर्सेस के अनुरोध को मान लिया बशर्ते कि विलंब हुए भुगतानों के लिए ब्याज सहित सभी लंबित वसूलीयाँ हो और टिप्पणी के परिच्छेद 10 में दी गई वित्त विभाग की टिप्पणीयों का अनुपालन भी हो.	चिकित्सा
20.	202	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के रोगियों को उपचार प्रदान करने हेतु क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लेने के लिए समझौता ज्ञापन में यथा सहमत वर्तमान सीजीएचएस/मुंपोट्र मानक L1 दरों के अनुसार नामिका सूची (पैनल) पर रखे गए निजी अस्पतालों, अनन्य नेत्र अस्पतालों/केंद्रों, अनन्य दंत्य क्लिनिकों, कैंसर अस्पतालो/ युनिटों तथा नैदानिक केंद्रो की वर्तमान सूची को मौजूदा उसी शर्तों तथा निबंधनों पर वर्तमान संविदा अवधि की समाप्ति की तिथि से आगे दो वर्षो की अवधि के लिए अथवा मुंपोट्र अस्पताल स्थित ग्राही द्वारा सुपर स्पेश्यालिटी सेवाओं की स्थापना किए जाने तक, इसमे से जो भी पहले हो विस्तारण प्रदान करना.	मंडल ने चर्चा के बाद, निम्ननुसार अनुमोदन प्रदान किया - (i) टिप्पणी के परिच्छेद 16 में दिये गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को; (ii) परिच्छेद 13 की क्रम संख्याएँ 11 से 15 में उल्लिखित अस्पतालों के संबंध में वर्तमान नामिका सूची के वर्ष को '2022' से '2021' ऐसा संशोधित करने को; (iii) जसलोक अस्पताल के पैनल पर होने को वर्तमान नामिका सूची की समाप्ति की तिथि से आगे दो वर्षो की अवधि के लिए विस्तारित करने को; (iv) वर्तमान नामिका सूची की समाप्ति की तिथि से बालाजी अस्पताल की सेवाओं के पैनल पर होने को रोक लगाने को.	चिकित्सा
21.	203	इंडियन ऑयल कॅर्पोरेशन लि. (आइओसीएल) से अमोनिया टैंक, संयंत्र तथा यंत्र सामग्री के साथ पिर पाव में अवस्थित (आरसीएफ द्वारा खाली किए गए) मुंपोट्र के रिक्त भूखंड धारण सर्वे संख्या 478 के आबंटन हेतु अनुरोध.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 में जैसा दर्शाया है तथा परिच्छेद 5 तथा 6 में जैसा प्रस्तावित है आइओसीएल के अनुरोध का स्वीकार करने के संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
22.	204	21 सितंबर 2021 को आयोजित मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	मंडल ने 21 सितंबर 2021 को आयोजित मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को नोट किया.	सामान्य प्रशासन
23.	205	महापत्तनों में संविदाकारों/ ग्राहियों /परामर्शदाताओं/सेवा प्रदाताओं के साथ संविदा/करारों के अधीन संविदागत विवादों के लिए सुलह तथा समझौता तंत्र की स्थापना - स्वतंत्र विशेषज्ञों का पैनेल, सुलह तथा समझौता समिति तथा दिशानिर्देशों का गठन - इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि(आइसीटीपीएल),दावेदार, तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) का न्यासी मंडल के बीच मध्यस्थता कार्यवाहियाँ.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया - (ए) ओसीटी परियोजना के लिए टिप्पणी के परिच्छेद 3 की क्रम संख्या 2 में दी गई पाँच विशेषज्ञों की सूची में से तीन सीएससी विशेषज्ञों के चयन को. (बी) ओसीटी तथा अन्य परियोजनाओं के लिए टिप्पणी के परिच्छेद 3 की क्रम संख्या 3 में यथा निर्दिष्ट सीएमडी के गठन को (सी) सीएससी को ₹45,00,000 के मुंपोट्र के हिस्से के शुल्क का भुगतान करने को [(परिच्छेद 3(9)].	स्थापत्य अभियांत्रिकी
24.	206	पोर्ट की संपत्तियों का बीमा.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 17 तथा 18 में दिए गए वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया.	वित्त
25.	207	निविदा संख्या इ-09/2019 - नई कॉलोनी नाडकर्णी पार्क, वडाला स्थित इमारतें संख्याएँ 1 से 6, 11, 14, 15, 17 से 21, 23, 24 तथा 27 (17 इमारतें) की आवश्यक सिविल मरम्मत-समायवधि का विस्तार.	मंडल ने, चर्चा के बाद संविदा के समयावधि को 183 दिनों के लिए अर्थात, 18.7.2021 से 16.1.2022 तक बढाने को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
26.	208	पेंशनरों/परिवार पेशंनरों द्वारा वार्षिक जीवित प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण - संबंधी.	मंडल ने वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया -	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(i) जिन पेंशनरों ने जनवरी/फरवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए सफलतापूर्वक डीएलसीयाँ की हैं उनसे डीएलसीयों का आग्रह न करना; तथा (ii) अत्यधिक बुढापे के कारण जिनके ऊंगलियों के निशान बायोमेट्रिक मशीन द्वारा पढे नहीं जाते ऐसे मामलों में जीवित प्रमाणपत्रों की कागज पर प्रति (हार्डकॉपी) के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति उन पेंशनरों को देना.	
27.	209	निर्मला ऑटो केअर सेंटर को प्रदान की गई संविदा की समाप्ति. निविदा संख्या इ-83ए/2020: इ-निविदा तथा इ-नीलामी के जरिए मुंपोट्र की सड़कों के उपयोग हेतु प्रभार की वसूली के लिए लाइसेंस.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया - (i) टिप्पणी के परिच्छेद 8 तथा 9 में दिया गया मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को (ii) ऐसी सहयोगी फर्म/कंपनियों के मुंपोट्र के साथ कारोबार पर रोक लगाना जिनमें निर्मला ऑटो केयर सेंटर के निदेशक भी किसी न किसी हैसियत से उन फर्मों/कंपनियों के साथ जुडे हुए हैं.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
28.	210	मुंपोट्र वित्तीय सहायता - मुंपोट्र की वित्तीय पुनर्रचना पर वित्त तथा निवेशों पर विभागीय स्थायी समिति (डीएससी) की रिपोर्ट.	मंडल ने एफडी का ब्याज का दर + 1% से 2 वर्षों के अधिस्थगत काल तथा 8 वर्षों की ऋण अवधि के साथ सहयोगी पत्तनों से ₹850 से ₹1000 करोड लगभग का ऋण लेने के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को तत्वत: अनुमोदन प्रदान किया. ***[सर्वश्री सुधाकर अपराज तथा केरसी पारेख असहमत]***	
